न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

(31)

प्रकरण सं0 78/19
दायरा दिनांक 02.08.2019
निर्णय दिनांक 29.08.2019

बउनवान

1. विकास मीणा आयु 35 वर्ष पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजवीर मीणा पुत्र द्वारका प्रसाद आयु 19 वर्ष जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील किशनगंज जिला बारां

वादीगण

बनाम

1. द्वारका प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक :-29.08.2019

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर0टी0 एक्ट आरटी एक्ट जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश मेहता ने इस आशय का पेश किया कि-

1. यह कि ग्राम रामनगर पटवार क्षैत्र करवरीकलां तहसील किशनगंज की आराजी जमाबंदी सम्मत 2071-74 खाता संख्या नया 18 पुराना 16 की आराजी खसरा नं0 360 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा लगानी 4.04 रूपये,ख0न0 363 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा लगानी 1.12 रूपये ख0न0 364 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा लगानी 1.16 रूपये ख0न0 381 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लगानी 0.33 रूपये, ख0न0 384 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा लगानी 3.42 रूपये, ख0न0 387 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा लगानी 0.56 रूपये, ख0न0 388 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लगानी 3.64 रूपये, ख0न0 389 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा लगानी 1.35 रूपये, कुल 8 किता कुल रकबा 39 बीघा बिस्वा कुल लगानी 15.63 रूपये स्थित है। तथा ग्राम करवरीकलां पटवार क्षैत्र करवरीकलां तहसील किशनगंज की आराजी जमाबंदी सम्मत 2070-73 खाता संख्या नया 104 पुराना 27 की आराजी ख0न0 244/3 रकबा 19 बीघा लगानी 5.70 रूपये, कुल एक किता कुल रकबा 19 बीघा लगानी 5.70 रूपये स्थित है। जिसे वाद पत्र मे विवादित आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि उक्त आराजियात् के मूल खातेदार भंवरलाल जी थे भंवरलाल के देहान्त के बाद उक्त आराजी वादीगण के पिता द्वारका प्रसाद को विरासत मे प्राप्त हुई है जो पूर्व मे वादीगण के पिता द्वारका प्रसाद व उसके भाईयों,मॉ व बहिनों का संयुक्त खाता जमाबंदी सम्मत 2059-62 मे दर्ज है जो बंटवारा अनुसार खाता पृथक पृथक हुआ है जिसमे वादपत्र मे विवादित आराजियात् प्रतिवादी द्वारका प्रसाद को प्राप्त हुई है। जो भंवरलाल जी की विरासत से प्राप्त हुई है इसलिये पैत्रिक आराजियात् होने से वादीगण का जन्म से ही अपने हक हकूक है इस कारण वादीगण विवादग्रस्त आराजियात् मे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का समान हिस्सा होने से 1/3, 1/3 हिस्से के रूप मे खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाकर बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:33:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अंकन करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं काबिली है।

3 यह कि उक्त आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता भंवरलाल से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है किन्तु वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 हुलका प्रसाद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के कारण वादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने 1/3 1/3 हिस्से पर काश्त व्यवस्था करने व कृषि ऋण बगैरह प्राप्त करने व भू सुधार से वंचित है। इसलिए बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीगण अपना 1/3 1/3 हिस्से पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकन करवाने एवं अपने 1/3 हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाकर वादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा वादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा पृथक–पृथक करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं काबिली है।

4 यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने बाहमी बंटवारे के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने व बंटवारा कर खाता पृथक कराने हेतु कई बार निवेदन किया गया तो उसके द्वारा टालमटूल की जाती रही तथा अंतिम बार दिनांक 10.07.2018 को अंतिम रूप से इंकार करने पर अंतिम रूप वादकारण बमुकाम रामनगर तहसील किशनगंज में उत्पन्न हुआ है तथा राज0 सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार किशनगंज को वादीगण का नाम 1/3 के रूप में खाते में अंकित करने बंटवारा कर पृथक से अंकन करने हेतु निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई जिस वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 22.07.2018 को जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस की मियाद समाप्त नहीं हुई है चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की मियाद समाप्ति तक वाद प्रस्तुत करने का इंतजार किया जाना संभव नहीं है इस कारण धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

5 यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण तहसीलदार किशनगंज को प्रतिवादी क्रम 2 के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया है।

6 यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

7 यह कि माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

8 यह कि अन्य वजूहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा वादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा पृथक से लगान निर्धारित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह वादीगण के हिस्से के खाते में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे तथा शान्ती पूर्वक काश्त करने दें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिश्ता ली गई, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि से पूर्व वादी अधिवक्ता के प्रार्थना मय शीघ्र सुनवाई पर पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता मो0 आरिफ ने वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल किया।

उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया वादीगण की पहचान एड0 ओ0पी0मेहता ने की प्रतिवादी की पहचान अभि0 मो0 आरिफ ने की। राजीनामा रिकॉर्ड पर लेकर तस्दीक किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:33:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजीनामानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। और राजीनामानुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

1. यह कि वाकेग्राम रामनगर आराजी खाता संख्या 18 की खसरा नं0 360 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा ,ख0न0 363 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 364 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 381 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 384 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 387 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 388 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 389 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, कुल 8 किता कुल रकबा 39 बीघा 7 बिस्वा व ग्राम करवरीकलां की आराजी संख्या 104 ख0न0 244/3 रकबा 19 बीघा है जो पैत्रिक सम्पत्ति है जो वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है।
2. यह कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति व समझाईश से राजीनामा हो गया है। उसके अनुसार 1/3,1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाकर अपना खाता पृथक–पृथक दर्ज करवाने हेतु सहमत है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/3,1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर पृथक कर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे व पृथक से लगान निर्धारित किया जावे। व इसी अनुसार नक्शे मे लाल स्याही से अंकन किया जावे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा मुताबिक वाद का निस्तारण किया जावे। वादी क्रम 1 को हिस्सा 1/2 वादी क्रम 2 को हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/3 के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। बाहमी बंटवारे अनुसार बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ... बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:33:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner